कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, एटा।

दिनांक 17/06/023

पत्रांक 635 /7–पं0 / स्व0भा0मि0(ग्रा0) / 2023–24

समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0)
जनपद– एटा।

विषयः– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के अन्तर्गत फीकल स्लज ट्रीटमेन्ट हेतु नगरीय क्षेत्र में निर्मित एसटीपी / एफएसटीपी में को–ट्रीटमेन्ट हेतु ग्रामों को मैप किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया मिशन निदेशक महोदय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक संख्या 5 / 801 / 02 / 2023–24 दिनांक 06 जून, 2023 का सन्दर्भ ले, जिसके द्वारा नगरीय क्षेत्रों के एसटीपी / एफएसटीपी से ग्रामों / ग्राम पंचायतों को भारत सरकार के बेबसाइड पर मैप / टैग कराने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देशित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने–अपने विकास खण्ड की नगर निकायों में एसटीपी / एफएसटीपी निर्माण प्रस्तावित है परन्तु स्थान चिन्हित नही है वहॉं निकाय के मुख्यालय को केन्द्र विन्दु मानते हुये दूरी का आंकलन कर ग्राम पंचायतो / ग्रामों को उसकी भौगोलिक स्थिति (त्रिज्या क्षेत्र 15 से 20 किमी0) के अनुसार ग्रामों / ग्राम पंचायतों को भारत सरकार के बेबसाइड पर, मैप / टैग कराने, एफएसटीपी टैग किये गये ग्रामों की सूची कार्यालय प्रेषित करे तथा पी0आर0डी0 पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे।

(कृष्ण कुमार सिंह चौहान)
जिला पंचायत राज अधिकारी
एटा।

पत्रांक 635 /7–पं0 / स्व0भा0मि0(ग्रा0) / 2023–24 दिनांक 17/06/023

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय एटा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मुख्य विकास अधिकारी महोदय एटा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) महोदय अलीगढ मण्डल अलीगढ को सूचनार्थ प्रेषित।
4– समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद एटा को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पंचायत राज अधिकारी
एटा।

Scanned with OKEN Scanner